संख्या-224/2019/4238/26-3-2019-40(विविध)/2017

प्रेषक,

सतीश कुमार
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 15 अक्टूबर 2019

विषय:- **चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में वनबन्धु कल्याण योजनान्तर्गत मानीटरिंग सेल के गठन हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास के पत्रांक-183/ज.जा.वि./2019-20, दिनांक-24.09.2019 द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में वनबन्धु कल्याण योजनान्तर्गत मानीटरिंग सेल गठन हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया, जिसकी कार्य योजना निम्नवत् है:-

1	परियोजना सलाहाकार सह अनुसंधानकर्ता-2	05 माह हेतु नियत मानदेय (20,000) प्रतिमाह	2x5x 20000	2,00,000/-
2	अनुसंधान सहायक-2	रू0 15,000/- प्रतिमाह (05 माह हेतु)	2x5x15000	1,50,000/-
3	तकनीकी सहायक सह कम्प्यूटर आपरेटर-2	सेवा प्रदाता के माध्यम से रू0 10,000/- प्रतिमाह (05 माह हेतु)	2x 5x10000	1,00,000/-
4	वर्क सेट अप, प्रिन्टिंग, संचार-डाटा प्रोसेसिंग, कलेक्षन एवं कम्पाइलेषन	-	-	1,00,000/-
5	यात्रा आदि	-	-	2,44,746/-
6	विविध (वर्क षाप/बैठक/प्रषिक्षण)	-	-	1,46,000/-
योग:-				9,40,746/-

2- निदेशालय, जनजाति विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 की योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0110-वनवन्धु कल्याण योजना (के100/रा0-के0)-20-सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित आय-व्ययक धनराशि में से **रू0-9.40746 लाख (रू0 नौ लाख चालीस हजार सात सौ छियालीस मात्र)** धनराशि की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1)-उक्त धनराशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों/प्रतिबन्धों तथा इस योजना हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3)-स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष आवंटन व्यय तभी किया जायेगा, जब यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व वर्षों में स्वीकृत की गयी धनराशि का सम्पूर्ण व्यय/उपभोग किया गया हो और कोई धनराशि पी0एल0ए0/ बैंक/डाकखानों/डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नहीं है और पूर्व में स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

(4)-उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को भी यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत मुख्य लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0110-वनवन्धु कल्याण योजना (के 100/रा0-के0)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/ बी-1-170/ दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च 2019 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत की जा रही है।

भवदीय

सतीश कुमार
अनु सचिव

पृ0संख्या-224/2019/4238(1)/26-3-2019- तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- राज्य योजना आयोग-1/2
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।